

arishankar have been appointed EDs of Indian Bank and Allahabad Bank respectively.

All that part and parcel of the Property bearing "Free hold DDA Shop bearing No-35, Block S, C.S.C Commercial Complex, Uttari Pitampura, Delhi measuring 9.69+49.63 Sq meter" measuring as under: North: Stall No 33 & 34, South: Service Lane, East: Open, West: Parking

Date: 14-02-2017, Place: New Delhi

For Kotak Mahindra Bank Ltd., Authorised Officer

"All India" edition - "Business Standard" - 18-02-2017

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

New Palasia, Indore (M.P.),
Tel.: 0731- 2544414, 4701109, Fax: 2542545
email : newpal@ucobank.co.in

E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(In terms of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) (SARFAESI Act, 2002) (No. 54 of 2002)
Sale of immovable property mortgage to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (No. 54 of 2002)
Whereas, the Authorised Officer of UCO Bank, New Palasia Branch, Indore had taken possession of the following property pursuant to the notice issued under section 13(2) of "SARFAESI Act" in the following loan account with right to sale the same strictly on "As is where is basis" & "As is what is basis" & "Whatever there is basis" & "Without recourse Basis" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under section 13(4) of the SARFAESI Act propose to realize the Bank's dues by sale of the said property The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at website.

a) Name of the Borrower with address b) Name of the Guarantors with address	a) Amount due as per demand Notice b) Date of Demand Notice c) Date of possession	Descriptions of charged/ Mortgaged Property/s & location	a) Reserve Price b) Earnest Money Deposit c) Incremental Price for which the Bid to be increased
M/s Longrange Commodities (P) Ltd. Regd. office Address: Nav Vyapar Bhawan, 49, P.D. Mello Road, Carnac Bandar, 5th Floor, Office No. 525-527, Mumbai-400009 3rd Floor, Kanika Building, 14/1, New Palasia, Indore Directors: 1. Shri Namit Soni, 2. Shri Ujwal Soni Guarantors: 1. Shri Namit Soni, 2. Shri Vijay Soni, (Corporate Guarantee: M/s Namco Corp. Ltd.) 3rd Floor, Kanika Building, 14/1, New Palasia, Indore	a) 100.23 Crore + Interest and Other Charges b) 01.10.2015 c) 15.01.2016	Flat No.74, 7th Floor, Rajat Apartment, CHS Limited, CTS No.1/359, Malabar & Cambala Hill Division, Mount Pleasant Road, Malabar Hills, Mumbai - 400 006, Carpet Area- 1318 sq.ft., (Physical Possession with Bank) + Garage No. 17 at Ground Floor Area 305 sq.ft., in the name of M/s. Namco Corp Limited (Corporate Guarantor)	a) Rs. 8.50 Crore b) Rs. 0.85 Crore b) Rs. 10.00 Lac

The auctions sale will be 'online e-auction' bidding through website <https://ucobank.auctiontiger.net> on 23.03.2017 between 10.00 AM to 4.00 PM as per (IST) with unlimited extensions of 5 minutes each. Last date for submission of online bids is 22.03.2017, 5.00 P.M.

Terms & Conditions : (1) Property is being sold on "As is and where is" & "As is what is basis" & "Whatever there is basis" & "Without recourse Basis". Intending bidders are advised to conduct search in Revenue/SRO records to satisfy title, identity, extent, dimensions, survey number, door number, boundaries or encumbrances in regard to the property proposed to be sold. (2) Intending bidder shall hold a valid Digital Signature Certificate and e-mail address for details with regard to digital signature. Contact M/s E-procurement Technologies Ltd. Ahmedabad through telephone number 079-40230812/11/10/09/08 and/or Mobile No.09978591888 and through e-mail id: mp@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, parthiv@auctiontiger.net. (3) Bidders are advised to go through the website <https://ucobank.auctiontiger.net> (Auction tiger Mobile App) for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction sale proceedings. (4) Prospective bidders may avail online training on e-auction from M/s E-procurement Technologies Ltd. Ahmedabad. For imparting Training Help Line, please dial number:- 079-40230812/11/10/09/08. (5) Bids shall be submitted through online only in the prescribed format with relevant details. Separate bid should be submitted for each item of property. (6) Bids should be submitted alongwith copy of identity documents as an attachment to the bid form. Only copy of PAN Card, Passport, Voter's ID, Valid Driving License or Photo identity Card issued by Central /state Government shall be accepted as the identity documents and should be submitted along the bid form. Original Identity document (copy of which is submitted along with bid form) must be produced on demand. (7) 10% of the Upset Price/ Reserve Price must be remitted through Earnest Money Deposit (EMD) shall be deposited through RTGS/ NEFT Fund transfer to the Credit of Account Number 02580210003947, UCO Bank, New Palasia, Indore, IFSC Code No. UCBA0000258 EMD amount remitted by unsuccessful bidder shall be returned by the Bank without interest. Participating bidders are required to contact the Bank in this connection after the close of the auction. (8) A copy of the bid form along with its enclosure(s) submitted online (also mentioning UTR Number) and duly signed declaration shall be handed over / sent to the Authorized Officer at UCO Bank, New Palasia Branch, Girnar Tower, 2/5, New Palasia, Indore or soft copies of the same by e-mail to newpal@ucobank.co.in. The Bank shall not have any liability as regards delay in delivery/ non delivery of the bid form and / or enclosures at the bank by the Postal authority / Courier Agency / Carrier. (9) Incomplete bids, unsigned bids, as also bids not conforming to Sl. Nos 2, 5, 6 & 7 above shall be summarily rejected. Bids which are not above the Upset / Reserve Price shall also be summarily rejected. The Authorized Officer has the absolute right and discretion to accept or reject any one or more bids or to adjourn/ postpone/ cancel the sale, modify any terms and conditions of the sale without any prior notice and assigning any reasons thereof. (10) Auction / bidding will be only through on line e-bidding. On line bidding will commence from the highest bid quoted among the bids and the minimum increase for each bid will be only for the amount as mentioned above. (11) In case of sole bidder, the bid amount quoted in his bid form must be improved by at least one bid incremental value, lest the sale shall be cancelled / deferred. (12) If any market-leading bid (bid higher than the highest at the point in time) is received within the last five minutes of closing time, the bidding time will be extended automatically by another five minutes. This process continues till no bid comes for a period of five minutes and e-auction gets closed. (13) Highest bid will be provisionally accepted on "subject to approval" basis and the highest bidder shall not have any right / title over the property until sale is confirmed in his favour. (14) Successful bidder shall remit 25% (twenty five percentage) of the bid amount (less EMD) immediately on the sale being knocked down in his / her favour, through RTGS/NEFT to the Bank account mentioned above in SL No (7) The Authorized Officer shall issue sale Confirmation Letter in favour of the successful bidder in due course. In case of pendency of any Petition / Appeal, confirmation of sale be subject to the outcome of the Petition / Appeal. (15) The successful bidder shall remit the balance bid amount (remaining 75% of the bid amount) within 15 days of confirmation of sale in the same mode as stipulated in point No 7. If the successful bidder fails to remit the balance bid amount within the said period, EMD shall be forfeited and the property shall forthwith be sold again. Also, defaulting purchaser shall forfeit all claims on the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. (16) Property can be inspected on 18.03.2017 between 10.00 A.M. IST to 5.00P.M. IST with prior appointment. Further property details, if any required, can be had from Chief Manager, UCO Bank, New Palasia Branch, Indore-452001, (Phone-0731-2544414). (17) Two or more persons may join together in submitting bid, in which case the sale certificate will be issued in their joint names only. No request for inclusion / substitution of names, other than those mentioned in bid, in the sale certificate will be entertained. (18) In case of more than one item of property brought for sale, the sale of properties will be as per the convenience and it is not obligatory to go serially as mentioned in sale notice. (19) All intimations to bidders /auction purchaser will be primary through e-mail by the e-Auction Service Provider. Date of sending e-mail will be considered as date of intimation. If no intimation reaches, bidders are expected to take efforts to find out status from the e-Auction Service Provider. Non-receipt of intimation should not be an excuse for default / nonpayment. (20) There shall be no fresh sale notice if the sale is postponed for a period less than 30(thirty) days. (21) Sale will not be confirmed if the Borrower tenders to the Bank contractual dues along with other expenses prior to Authorized Officer issuing Sale Confirmation Letter to the successful bidder. In such case, the bank shall refund without interest the entire amount remitted by the successful bidder. (22) Statutory dues / liabilities etc., due to the Government / Local Body, if any, shall be borne by the successful bidder and the Authorized Officer will not held responsible for any charges, lien, encumbrances, property taxes or any other dues to government or anybody in respect of auctioned property. (23) Successful bidder shall bear the charges / fee payable for registration of the property as per law. (24) This notice is also to the Borrower(s) and Guarantor(s) in particular and the public in general. (25) The authorised officer reserves absolute right to accept or reject any one or more bids or to postpone/cancel the auction without assigning any reason. In event of cancellation of auction, EMD amount shall be returned by bank without interest. (26) No claim will be entertained after submission of the online bid.

Place : Indore, Date : 17.02.2017

Authorised Officer, UCO Bank

टिप्पणी : आयोजित की जाएगी। निविदा 17.02.2017 से वेबसाइट <http://govtprocurement.delhi.gov.in> पर उपलब्ध है। नाबदा दस्तावेज अनिवार्य रूप से 17.02.2017 से वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 आयोजित की जाएगी। निविदा 17.02.2017 से वेबसाइट <http://govtprocurement.delhi.gov.in> पर उपलब्ध है। नाबदा दस्तावेज अनिवार्य रूप से 17.02.2017 से वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 तिथि एवं समय 02.03.2017 को अप 3:00 बजे तक है। तकनीकी निविदा क्रमानुसार 02.03.2017 को क्रमशः अप. 3:30 बजे, अप. 4:00 बजे, अप. 4:30 बजे, सायं 5:00 बजे, सायं 5:30 बजे, सायं 6:00 बजे, 6:30 बजे, सायं 6:45 बजे एवं सायं 6:55 बजे खोली जाएगी।
 विस्तृत विवरण एवं कोई भी शुद्धिपत्र ई-टेंडरिंग सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार <http://govtprocurement.delhi.gov.in> पर देखा जा सकता है।
 टिप्पणी : एनडीएमसी में ई-निविदा में भाग लेने के लिए ई-टेंडरिंग सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ पंजीकरण अनिवार्य है।
 मुख्य सुरक्षा अधिकारी

"All India - edition " विजनेस स्टैंड " - 18-02-2017

 यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)	न्यू पलासिया, इंदौर (म.प्र.), फोन : 0731-2544414, 4701109, फैक्स: 2542545 email : newpal@ucobank.co.in	अचल संपत्ति की विक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
--	--	--

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002) (सरफेसी अधिनियम 2002)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 का नियम 54) के अंतर्गत अचल संपत्ति की विक्री जो की बैंक के पास बंधक है जबकि यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, इंदौर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के "सरफेसी अधिनियम" के तहत जारी किए गए नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया था। बैंक की बकाया राशि ब्याज सहित वसूलने के लिए निम्न संपत्ति को "जहाँ है जैसी है" "जैसी है वैसी है" और जो कुछ है के आधार पर विक्रय करने का निश्चय किया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चुकाने में असफल होने के कारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक की बकाया राशि वसूल करने हेतु संबंधित संपत्ति का विक्रय किया जाना है। संपत्ति की विक्री अद्योहस्ताक्षर द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है की जाना है।

ए) ऋणी का नाम एवं पता बी) जमानतदारों के नाम एवं पते	ए) मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि बी) मांग नोटिस की दिनांक सी) कब्जा दिनांक	संपत्ति का विवरण	ए) आरक्षित मूल्य बी) बयाना राशि सी) बचने वाली बोली के लिए बचती कीमत
मेसर्स लॉन्ग रेंज कमोडिटीज (प्रा.) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय: नव व्यापार भवन, 49, पी.डी.मेलो रोड, कर्नक बंदर, पांचवी मंजिल, ऑफिस नं 525-527, मुंबई-400009 तृतीय मंजिल, कनिका बिल्डिंग 14/1, न्यू पलासिया, इंदौर डायरेक्टर्स: 1. श्रीमती नमिता सोनी, 2. श्री उजवल सोनी जमानतदार: 1. श्रीमती नमिता सोनी, 2. श्री विजय सोनी (कॉर्पोरेट जमानत: मेसर्स नेमको कॉर्प लिमिटेड) तृतीय मंजिल, कनिका बिल्डिंग 14/1, न्यू पलासिया, इंदौर	रु. 100.23 करोड़ + ब्याज एवं अन्य खर्चे बी) 01.10.2015 सी) 15.01.2016	प्लेट क्रमांक 74, सातवीं मंजिल, रजत अपार्टमेंट, सीएचएस लिमिटेड, सीटीएस नं 1/359, मालावर एवं कन्वाला हिल डिवीजन, माउंट प्लेसेंट रोड, मालावर हिल्स, मुंबई - 400006, कारपेट एरिया: 1318 वर्गफीट (बैंक का भौतिक कब्जा है।) + गेराज नं. 17, तल मंजिल क्षेत्रफल 305 वर्गफीट, संपत्ति मालिक: मेसर्स नेमको कॉर्प लिमिटेड (कॉर्पोरेट जमानतदार)	ए) रु. 8.50 करोड़ बी) रु. 0.85 करोड़ बी) रु.10.00 लाख

नीलामी विक्री 23.03.2017 को प्रातः 10.00 बजे से सायं काल 4.00 बजे (आईएसटी के अनुसार उपरोक्त तालिका देखें) के मध्य प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के द्वारा ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रक्रिया से होगी। ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 22.03.2017 सायं काल 5 बजे।

नियम एवं शर्तें: (1) संपत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है" एवं जो कुछ है के आधार पर होगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि संपत्ति जो की विक्रय करने हेतु प्रस्तावित है उस संबंध में रीवेन्यू (सिआर) ऑफिस, टायटल, डायमेंशन, सर्वे नं., डॉर नं., चर्तुसीमा या संपत्ति पर कोई प्रभार हो तो उस संबंध में पुरी जाँच कर ले। (2) इच्छुक बोलीकर्ता के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र एवं ई-मेल पता होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए वे M/s E-procurement Technologies Ltd. Ahmedabad संपर्क संख्या 079-40230812/11/10/09/08 या मोबाइल नं 09978591888 ई मेल आई डी: mp@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, parthiv@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं। (3) बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने एवं ई-नीलामी विक्री का कार्यवाही में भाग लेने के पहले नीलामी विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> (Auction tiger Mobile App) को ध्यान पूर्वक देख ले। (4) सम्बंधित बोलीकर्ता M/s E-procurement Technologies Ltd. Ahmedabad द्वारा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिये कृपया टेलीफोन नं 079-40230812/11/10/09/08 पर अवश्य संपर्क करें। (5) प्रासंगिक विवरण सहित निर्धारित प्रश्न में केवल ऑनलाइन के द्वारा ही बोलियाँ जमा की जाएगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग निविदा जमा करनी होगी। (6) निविदा, पहचान दस्तावेजों की प्रति निविदा फार्म के साथ सलपत्र कर जमा करनी होगी। केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, परिचय पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे, जिन्हें निविदा फार्म के साथ सलपत्र कर जमा करना होगा। पहचान दस्तावेज की मूल कॉपी जो कि निविदा फार्म के साथ सलपत्र की है मांगने पर पेश करना होगा। (7) 10 प्रतिशत आरक्षित मूल्य आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से क्रेडिट खाता क्र. 02580210003947, यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, इंदौर, IFSC कोड नं. UCBA0000258 में फंड ट्रांसफर करना होगा। ईएमडी राशि जो कि असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की जाएगी उसे बैंक द्वारा बिना कोई ब्याज दिए वापस कर दी जावेगी। ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं को चाहिए की वे नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात इस संबंध में बैंक से संपर्क करें। (8) ऑनलाइन जमा किये हुए सलपत्रों के साथ (जिसमें UTR क्रमांक भी दर्शाया गया हो), बोली प्रश्न की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, गिरनार टॉवर, 2/5, न्यू पलासिया, इंदौर को सौंपी जायेगी अथवा इसकी सॉफ्ट प्रति ई-मेल newpal@ucobank.co.in को भेजी जायेगी। डाक अधिकारी / कॉरियर एजेंट या केरियर के कारण निविदा फार्म देरी से प्राप्त होने या न प्राप्त होते हैं तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। (9) अपूर्ण निविदा या बिना हस्ताक्षर किए की निविदा या सिरियल क्रमांक 2, 5, 6, 7 से मेल नहीं खाती है तो उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जायेगा। निविदा जो की उपरोक्त अनुसार अपसठ नही है तो आरक्षित मूल्य की राशि सरसरी तौर पर खारिज हो जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना पूर्व सूचना दिये या बिना कोई कारण बताये अपनी इच्छा अनुसार किसी एक बोली या एक से अधिक बोलीयों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, स्थगित करने या निरस्त करने अथवा आगे बढ़ाने, नियम और शर्तों में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार रहेगा। (10) नीलामी / बोली केवल ऑनलाइन ई-नीलामी माध्य से होगी। नीलामी के मध्य ऑनलाइन बोली उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी एवं प्रत्येक बोली के न्यूनतम वृद्धि केवल उपरोक्त वर्णित राशि के लिए होगी। (11) यदि एक मात्र बोलीकर्ता द्वारा उसकी निविदा फार्म में जो राशि कोट की गई है उसे कम से कम एक बोली वृद्धि मूल्य उन्नत होना चाहिए। (12) नीलामी के वक्त जो उच्च बोली लगाई गई है उससे भी उच्चतम बोली मार्केट द्वारा नीलामी की समाप्ति के आखरी 5 मिनट में भी प्राप्त हो जाती है तो नीलामी की समयवधि अगले 5 मिनट के लिए स्वयं ही बढ़ जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक की अगले 5 मिनट के लिए कोई बोली नहीं लगती है और ई-नीलामी बंद हो जाती है। (13) उच्चतम बोली अंतिम रूप से अनुमोहन के आधार पर स्वीकार की जायेगी और उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को यह अधिकार नहीं रहेगा की वह संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकता जब तक की उसके पक्ष में विक्रय की पुष्टि नहीं हो जाती। (14) सफल बोलीकर्ता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (EMD से कम) उसके पक्ष में बोली लगते ही तुरत आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा बैंक खाता जैसा की उपर क्रमांक 7 में वर्णित है जमा कराना होगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समयवधि में सफल बोलीकर्ता के पक्ष में पुष्टि पत्र जारी किया जायेगा। बिंदी पुष्टि लम्बित याधिका या अपील के परिणाम के बाद ही होगी। (15) सफल बोलीकर्ता को बिड राशि की 75% राशि विक्रय पुष्टि के 15 दिन में या उसके पूर्व नियम 7 में वर्णित के अनुसार जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता बिड राशि की बकाया राशि उक्त अवधि में चुकाने में असफल होता है तो उस परिस्थिति में ईएमडी की राशि राजसात कर ली जायेगी एवं संपत्ति का पुन. विक्रय होगा। चूककर्ता खरीददार प्रॉपर्टी पर या बिंदी हुई संपत्ति के किसी भी रकम पर अपना दावा पेश नहीं कर सकता। (16) संपत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर दिनांक 18.03.2017 प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे के मध्य किया जा सकता है। संपत्ति के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, न्यू पलासिया शाखा, इंदौर-452001 (फोन नं. 0731-2544414) से संपर्क किया जा सकता है। (17) दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से निविदा जमा कर सकते हैं उस परिस्थिति में विक्रय प्रमाण पत्र क्वल उनके संयुक्त नाम पर होगा। जिन लोगों के नाम बोली में वर्णित है और विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम बोली में समावेश करने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जायेगा। (18) यदि संपत्ति की एक से अधिक आईएम आती है तो संपत्ति का विक्रय सुविधानुसार होगा। यह अनिवार्य नहीं है कि संपत्ति की विक्री क्रमानुसार जैसे की उपर नोटिस में वर्णित है के अनुसार होगी। (19) बोलीकर्ता/ नीलामी क्रेता को ई-नीलामी के सेवा प्रदाता द्वारा ई-मेल के माध्यम से देने वाली जानकारीयां प्राथमिक होगी। ई-मेल भेजने की तिथि को सूचना देने की तिथि माना जायेगा। यदि कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो बोलीकर्ताओं से यह आशा की जाती है कि वो ई-नीलामी के सेवा प्रदाता से जानकारी लेने का प्रयास करें। गलती/पेमेंट जमा नहीं करना को जानकारी नहीं प्राप्त होने का कारण नहीं समझा जायेगा। (20) यदि संपत्ति का विक्रय 30 दिनों से कम समय के लिए स्थगित होती है तो उस परिस्थिति में नई विक्रय सूचना नहीं दी जायेगी। (21) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय पुष्टि का प्रमाणपत्र देने के पूर्व यदि ऋणी द्वारा संविदात्मक बकाया अन्य खर्चों के साथ बैंक को जमा नहीं किया जाता है तो विक्रय की पुष्टि नहीं की जावेगी। (22) सफल बोलीकर्ता को अनन्य आवागमन के सभी चार्जेंस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉम्प ड्यूटी, टैक्स, सरकारी ड्यूटी इत्यादि वहन करना होगा। संबंधित संपत्ति के नीलामी का कोई चार्ज, लिन, भार या अन्य सरकार या किसी व्यक्ति का कोई बकाया है तो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी उसके लिये जवाबदार नहीं रहेगे। (23) कानून के अनुसार संपत्ति के पंजीकृत, लगने वाले खर्चें और फीस सफल बोलीकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे। (24) यह सूचना ऋणियों/जमानतदारों को विशेषतया तथा आम जनता को साधारणतया दी जाती है। (25) बिना कोई कारण बताये किसी एक बोली को या अधिक बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने आगे बढ़ाने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। नीलामी निरस्त होने पर असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा इएमडी राशि उसे लौटा दी जायेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (26) ऑनलाइन बोलिया जमा होने के पश्चात कोई दावा स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 17.02.2017 प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक